बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र0 /यो0 बजट–14/2015 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अंतर्गत एस.बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र छोडकर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए0टी0एण्डसी0 हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी0एफ0सी0 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ (एक हजार बयालीस करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 1093.92 करोड़ (एक हजार तिरानवे करोड़ बानवे लाख) रूपये की स्वीकृति तथा Cost Overrun की राशि 62.90 करोड़ (बासठ करोड़ नब्बे लाख) रूपये राज्य योजना से उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 62.90 करोड़ (बासठ करोड़ नब्बे लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

राज्यादेश संख्या–2461, दिनांक– 24.08.2015 के द्वारा इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अंतर्गत एस.बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र छोडकर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए0टी0एण्डसी0 हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी0एफ0सी0 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ रूपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1042.50 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी पी0एफ0सी0 के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति तथा पी0एफ0सी0, बिहार सरकार एवं वितरण कम्पनियों के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश संख्या–3775, दिनांक– 30.12.2016 के द्वारा 30.00 करोड़, राज्यादेश संख्या–957, दिनांक– 18.03.2017 के द्वारा 25.00 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यादेश संख्या 2600, दिनांक 17.08.2017 के द्वारा 30.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश संख्या 3487 दिनांक 20.11.2017 के द्वारा 19.25 करोड़ रूपये अर्थात कुल 104.25 करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है।

2. विदित हो कि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित कर विभिन्न संवदको को कार्य आवंटित किया गया जिसमें पी0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के अतिरिक्त पटना शहर में जी0आई0एस0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण एवं अन्य परिणामस्वरूप योजना की लागत 1042.50 करोड़ रूपये से बढ़कर 1093.92 करोड़ रूपये हो गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु पी0एफ0सी0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यादेश की राशि स्वीकृत राशि से अधिक होने पर अन्तर की राशि की व्यवस्था वितरण कम्पनी/राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। परियोजना को मार्च, 2019 तक पूरा किया जाना है। निधि के अभाव में भुगतान नहीं होने पर कार्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3. उक्त आलोक में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अंतर्गत एस. बी.पी.डी.सी.एल. के 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र छोडकर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में 24×7 विद्युत उपलब्धता, ए0टी0एण्डसी0 हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी पी0एफ0सी0 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ (एक हजार बयालीस करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित

(1)

लागत 1093.92 करोड़ (एक हजार तिरानवे करोड़ बानवे लाख) रूपये की स्वीकृति तथा Cost Overrun की राशि 62.90 करोड़ (बासठ करोड़ नब्बे लाख) रूपये राज्य योजना से उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 62.90 करोड़ (बासठ करोड़ नब्बे लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष– 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0–10 उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड– 10–4801051900106, विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपषीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष एल0 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200047 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA275से की जाएगी।

7. उक्त राशि की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–6439 दिनांक–28.8.2018 के आलोक में इस शर्त पर दी जाती है कि राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र0 /यो0 बजट–14/2015 के पृष्ठ संख्या 30/टि0 पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र0 /यो0 बजट–14/2015 के पृष्ठ संख्या 73/टि0 पर दिनांक 28.09.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र0 /यो0 बजट–14/2015 दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र0 /यो0 बजट–14/2015 2664 दिनांक– 04/10/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।